(2)

निर्णय बइजलास सतोषकुमार मीना आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी पिडावा
प्रकरण संख्या 2/अपील/2022 दायर दिनांक 03/02/2022

1– अजयकुमार आ0 बालमुकन्द जाति मीना निवासी पेटभर तहसील सुनेल हाल मुकाम सुनेल

2– श्रीमति सुगनबाई पत्नी स्व0 बालमुकन्द जाति मीना निवासी पेटभर तहसील सुनेल हाल मुकाम सुनेल

अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमति बीना पुत्री बालमुकन्द पत्नी जितेन्द्रकुमार जाति मीना निवासी वार्ड नम्बर 20 पूर्णिमा कॉलोनी रामगंजमण्डी
2. ग्राम पंचायत कनवाडी तहसील सुनेल
3. सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल
4. शाखा प्रबंधक बैक ऑफ बडोदा शाखा सुनेल

रेस्पो0

अपील बनाराजगी निर्णय ग्राम पंचायत कनवाडी तहसील सुनेल

उपस्थितः– श्री रमेशचन्द सोनी एड0 अपीलान्ट
रेस्पोडेन्ट्स एक पक्षीय

निर्णय

दिनाक 04.04..2022

अपील के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि ग्राम पेटभर तहसील सुनेल के खातेदार बालमुकन्द पुत्र रामचन्द मीना के स्वर्गवास होने के पश्चात जो फोंती नामान्तकरण संख्या 621 दिनाक 05.01.2022 को खोला गया उसमें मृतक की पुत्री रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पक्ष में भी गलत तरीके [illegible] खोला गया । ग्राम पंचायत कनवाडी द्वारा फोती नामान्तकरण संख्या [illegible] दिनांक 05.01.2022 कानून व न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। मृतक खातेदार बालमुकन्द,मीना जाति का सदस्य था, [illegible] जाति के अन्तर्गत

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.04.13 14:05:03 IST
Reason: SelfAttested

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

[illegible] न्याय शुल्क पर अन्दर अवधि प्रस्तुत है ।

(3)

आती है। पक्षकार मीना अनुसूचित जन जाति के सदस्य होने के कारण उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है। ग्राम पंचायत कनवाडी तहसील सुनेल में स्थित होने से माननीय न्यायालय को अपील की सुनवाई का श्रवणाधिक एव क्षेत्राधिकार है। अपील के अन्त में अपीलान्टस ने निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जताकर फोती नामान्तकरण संख्या 621 दिनाक 05.01.2022 पर पारित निर्णय निरस्त किया जाकर केवल अपीलान्टस के पक्ष में फोती नामान्तकरण खोलने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे ।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेट्स को अपील की सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु रेस्पो0 नम्बर 1 को जरिये रजिस्टर्ड एडी एव रेस्पो0 नम्बर 2 लगायत 4 को तहसील के माध्यम से नोटिस जारी कर भिजवाये गये । रेस्पो0 नम्बर 1 बाद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व दिनाक 29.03.2022 को एक पक्षीय आदेश पारित किया गया । रेस्पो0 नम्बर 2 लगायत 4 भी बाद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय आदेश पारित किया गया।

वकील अपीलान्ट ने दस्तावेजी साक्ष्य में नामान्तकरण संख्या 621 निर्णय दिनाक 05.01.2022 की प्रमाणित प्रति ,नकल जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 115, 117, 118 वाके ग्राम पेटभर तहसील सुनेल पेश की गयी । इसके अतिरिक्त ओर कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की गयी ।

वकील अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गयी । वकील अपीलान्ट ने बहस में निवेदन किया कि मृतक खातेदार जाति से मीना है जो कि अनुसूचित जन जाति के अन्तर्गत आता है ओर अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियो पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है। इस सम्बन्ध में वकील अपीलान्ट ने रूलिग एव साईटेशन व उच्च न्यायालयो द्वारा पारित निर्णय की प्रतियां भी पेश की गयी ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.04.13 14:05:03 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली एव सलग्न रेकार्ड का अवलोकन किया तथा मनन किया गया। अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 621 दिनाक 05.01.2022 वाके ग्राम पेटभर तहसील सुनेल पेश किया । नामान्तकरण में [illegible] मृतक बालमुकन्द के वारिसान में अजयकुमार ,बीना व बेवा सुगनाबाई दर्ज पाया गया जबकि अपीलान्ट ने अपील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * पिड़ावा जिला झालावाड़ *

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

(5)

के समर्थन मे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956(1956 का अधिनियम संख्यांक 30) 17 जून 1956 अध्याय 1 जिसके सब सेक्शन (2) उप धारा (1) में अन्तर्दिष्ट किसी

बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अन्तरविष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जन जाति के सदस्यो की जो सविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थ के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति हो, लागू न होगी जब तक की केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र के अधिसूचना दवारा अन्यथा निदिष्ट न कर दे। माननीय राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बैच के निर्णय गुलाब बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यु एण्ड अन्य एस0बी0 सिविल रिट पीटिशन नम्बर 1363/97 निर्णय दिनाक 01.02.2006 में दिये गये निर्णय आरएलडब्ल्यु 2006 (2) आरजे की प्रति पेश की गयी जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 धारा 2– अधिनियम के प्रावधानो का उपयोजन क्या हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसूचित जन जाति के सदस्यो पर लागू होते है अभिनिर्धारित – लागू नही होते– पुनः विवाह करने के पश्चात विधवा का अपने पति की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नही रहता ओर विवाहित पुत्री का भी पिता की पैतृक सम्पति पर कोई अधिकार नही रहा । याचिका स्वीकार की पेज नम्बर 695 एव माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनाक 07.11.2001 श्रीबाई मीना बनाम श्रीमति मानबाइ मीना में हुए निर्णय आबीजे(9)2002 पेज नम्बर 23 से 27 पेश किया जिसमें चूकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अपने आप में धारा 2(2) के अन्तर्गत इस अधिनियम का अनुसूचित जन जाति के सदस्य पर प्रभावी न होना वर्णित करता है एव यह भी प्रावधित किया गया कि जब तक केन्द्र सरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके अन्यथा निर्देशित न करे तब तक यह अधिनियम अनुसूचित जन जाति के सदस्य पर लागू नही हाता है। हमारी जानकारी में किसी भी पक्ष द्वारा ऐसा कोई नोटिफिकेशन पेश नही किया गया जिससे प्रतीत हो कि केन्द्र सरकार ने अन्यथा रूप से निर्देशित किया हुआ हो। अतः उक्त परिपेक्ष्य में स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि सीता के मरने के बाद वादग्रस्त सम्पत्ति पुराने हिन्दू लॉ के अनुसार विरासत में जाएगी । हमने इस सम्बन्ध में हिन्दू लॉ के मुल्ला के पन्द्रहवे संस्करण [illegible] पृष्ठ 118 से लेकर 132 तक इस मामले में हमारी मदद करते है एव [illegible] हो इसमें दी गई धारा 43 के प्रावधानो से यह प्रकट होता है कि किसी हिन्दू [illegible] की मृत्यु पर उसके सपिण्डा इस दावे में दिये गये क[illegible] से प्राप्त करेंगे। सवर्तप्रथम आते है कमश 1 से 3 में दिये गये सपिण्ड [illegible] जिसमें पुत्र/पोत्र, पर पोत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.04.13 14:05:03 IST
Reason: SelfAttested

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

(5)

विरासत पाने की अधिकारणी नही रहती। परिणामत अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है सेक्शन 2(1)पेज 22 पेश किया गया जिसके पैरा नम्बर 2 उप धारा (1) में अन्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अन्तविष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जन जाति के सदस्यो की जो संविधान के अनुच्छेद 266 के खण्ड (25) के अर्थ के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति हो, लागू न होगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत निर्णयो तथा साईटेशन जो कि इस अपील पर चस्पा होती है ।

अतः उक्त विवेचन से यह सिद्व होता है कि अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियो की सम्पत्ति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है तथा सम्पत्ति में पुत्रियो का हक व हिस्सा नही होता है चाहे वह खरीद शुद्वा आराजी हो या पैतृक हो जब तक की केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्देष्टि न कर दे निर्णयो एव साईटेशन के परिपेक्ष में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी गयी।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण संख्या 621 निर्णय दिनाक 05.01.2022 वाके ग्राम पेटभर तहसील सुनेल जिला झालावाड को निरस्त किया जाता है तथा निर्णय की प्रति तहसील सुनेल को इस दिशा निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि वह अपीलान्ट्स के नाम नामान्तकरण दर्ज कर बाद तस्दीक न्यायालय को पालना से अवगत करावे। बैक का रहन यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनाक 04.04..2022 को हमारे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सतोषकुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.04.13 14:05:03 IST
Reason: SelfAttested